



IAS, IPS, IFOS पेंशनभोगियों के सेवानिवृत्तिलाभों से संबंधित संशोधित नयिम

प्रलिस के लयि:

अखलि भारतीय सेवारुँ (AIS). कारुमकि और प्रशकिषण वभिग (DoPT), सरकारी नीतयिँ और हसुतकुषेप, सविलि सेवा नयिम, मृतयु-सह-सेवानिवृत्तिलाभ संशोधन नयिम 2023

मेनुस के लयि:

भारतीय प्रशासनकि सेवा (Cadre) नयिम 1954, अखलि भारतीय सेवारुँ (AIS), AIS अधकिारी की प्रतनयिुकुत, AIS अधकिारयिँ की संघीय प्रकृती, **केंद्र राज्य संबंघ, लोकतंत्र में सविलि सेवारुँ की भूमकि**

चरुचा में क्युँ ?

केंद्र सरकार ने IAS, IPS (भारतीय पुलसि सेवा) और IFO (भारतीय वन सेवा) पेंशनभोगयिँ के सेवानिवृत्तिलाभों से संबंघति अखलि भारतीय सेवा (मृतयु-सह-सेवानिवृत्तिलाभ) नयिम 1958 में संशोधन कयि है ।

- नयिम 1958 को कारुमकि और प्रशकिषण वभिग (DOPT) दवारा नयिम 2023 में संशोधति कयि गयि थि ।
- यह मुख्य रूप से सेवानिवृत्त खुफयि या सुरकुषा से संबंघति संगठनों पर केंद्रति है ।

नयिम 2023 दवारा परविरुतन:

- केंद्र सरकार स्वयं IAS, IPS और IFos के वरिदुध काररवई करने तथाराज्य सरकार के संदरुभ के बनिा भी उनकी पेंशन रोकने या वापस लेने का अधकिार रखती है यदुवे गंभीर कदुाचार या अपराध के लयि दोषी पिए जाते हैं ।
- संशोधति नयिम दरुशाते हैं कडु पेंशन रोकने या वापस लेने पर केंद्र सरकार का नरुणय "अंतमि हगुा" ।
 - इन जुडे गए नयिमों में 'गंभीर कदुाचार' में आधकिारकि गुपनीयता अधनयिम में उलुखति कसिी दसुतावेजु या जानकारी का संचार या प्रकटीकरण शामलि है तथा 'गंभीर अपराध' में आधकिारकि गुपनीयता अधनयिम के तहत अपराध से संबंघति कुई भी अपराध शामलि है ।
 - अखलि भारतीय सेवा (मृतयु-सह-सेवानिवृत्तिलाभ) नयिम, 1958 में पहले नयिम 3(3) में कहु गयि थि कडु केंद्र सरकार संबंघति राज्य सरकार के संदरुभ पर पेंशन या उसके कसिी भी हसुसे को रोक या वापस ले सकती है ।
- खुफयि या सुरकुषा-संबंधी संगठनों के सदसुय, जुनिहोंने ऐसी कुषमताओं में सेवा की है, अपने संबंघति संगठन के प्रमुख से पूरुव मंजुरी प्रापुत कयि बनिा कुई लेख नही लखिँगे या प्रकाशति करेँगे ।

नयिमों में बदलाव का असर:

- गंभीर कदुाचार के दोषी या अदालत दवारा गंभीर अपराध के दोषी पिए गए पेंशनभोगी के खलिाफ काररवई करने के लयिकेंद्र को राज्य सरकार के संदरुभ का इंतजुार नही करना पडेगा ।
 - ऐसे मामलों में संबंघति राज्य सरकार के संदरुभ के बनिा भी केंद्र सरकार काररवई की प्रकुरयिा शुरु कर सकती है ।
- सुरकुषा और खुफयि संगठनों के अधकिारयिँ दवारा मीडयि में संवेदनशील जानकारी प्रदान करने तथा कतिाबों में उनके बारे में लखिने पर संबंघति सुरकुषा एवं खुफयि संगठनों के अधकिारयिँ के खलिाफ काररवई की जाएगी ।
- प्रसुतावति संशोधन नुकरशाही पर राज्य के राजनीतकि नयितुरुण को कमजुोर कर देगा ।
- यह प्रभावी शासन को बाधति करेगा और परहिरुय कानुनी तथा प्रशासनकि वविाद पैदा करेगा । क्युँकडु संशोधति नयिम केंद्र सरकार को सेवानिवृत्त अधकिारयिँ के खलिाफ काररवई करने की अपरुतबिंधति शकुतु प्रदान करेँगे ।

अखलि भारतीय सेवा (मृतयु-सह-सेवानिवृत्तिलाभ) नयिम, 1958

- अखलि भारतीय सेवा अधनयिम, 1951 की धारा 3 (1951 का 61) संबंघति राज्युँ की सरकारुँ से परामरुश के बाद ऐसे नयिम बनाने के लयि केंद्र

सरकार को अधिकार देता है।

- यह उन सभी लोगों पर लागू होगा जो 29 अक्टूबर, 1951 को या उसके बाद सेवा से सेवानवृत्त हुए थे।
- यह सेवा के उन सदस्यों पर लागू नहीं होता है जिन्हें राज्य सेवाओं से केंद्रीय सेवा में पदोन्नत किया गया था या भारतीय प्रशासनिक सेवा (राज्यों तक वसितार) योजना या भारतीय पुलिस सेवा के अंतर्गत सेवा में नियुक्त किया गया था।
- इन नियमों में नहिंति कोई भी बात 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में नियुक्त लोगों पर लागू नहीं होगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. “आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक नरिणायक चालक है”। इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सविलि सेवा में सुधारों के सुझाव दीजिये। (2020)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernce URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/amended-rules-relating-to-retirement-benefits-of-ias,-ips,-ifos-pensioners>

